

संख्या- ए. 20011/20/2015-हिंदी

भारत सरकार, गृह मंत्रालय
समन्वय निदेशालय (पुलिस बेतार)

खंड-9, के.स. का. परिसर
लोधी रोड, नई दिल्ली -3
दिनांक- 25 अगस्त, 2021

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: निदेशालय के हिंदी पुस्तकालय हेतु हिंदी पुस्तकों को खरीदने के संबंध में।

कृपया इस कार्यालय के दिनांक 23 अगस्त 2021 के कार्यालय ज्ञापन सं. ए. 20022/4/2020-हिंदी के तहत जारी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक की कार्यवृत्त के मद संख्या 4 (च) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. बैठक में हिंदी पुस्तकों की खरीद करने के संबंध में हुई चर्चा के दौरान निदेशक महोदय द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि राजभाषा हिंदी के विकास में योगदान देने के लिए हिंदी पुस्तकालय में ज्ञान और विज्ञान के विषय से संबंधित हिंदी पुस्तकों को खरीदा जाना चाहिए और अधिकारियों द्वारा सभी कर्मचारियों को हिंदी पुस्तकालय में पुस्तकों के अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिए। साथ ही निदेशक महोदय द्वारा हिंदी पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों के नाम भेजे जाने की अपेक्षा की थी।

3. उक्त के संदर्भ में निदेशालय के सभी अधिकारियों एवं अनुभागों से अनुरोध है कि वे अपने-अपने अनुभाग से ज्ञान एवं विज्ञान के विषय से संबंधित हिंदी पुस्तकों के नाम निम्नानुसार हिंदी अनुभाग में अग्रेषित करा दें ताकि पुस्तकों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, पुस्तकों की खरीद हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जा सके।

क्र.स.	पुस्तक का नाम	लेखक का नाम	पुस्तक प्रकाशक का नाम	अनुमानित व्यय (मूल्य)

4. कृपया इस परिपत्र को अपने कार्मिकों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार कर मांगी गयी सूचना दिनांक 15 सितम्बर 2021 तक हिंदी अनुभाग में अग्रेषित करवा दें ताकि हिंदी पुस्तकालय हेतु पुस्तकें खरीदने की कार्यवाही की जा सके।

5. यह निदेशक महोदय द्वारा अनुमोदित बैठक की कार्यवृत्त के अनुसरण में जारी किया गया है।



25.08.2021

(डॉ. राजीव कुमार सिंह)

सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि.

1. निदेशक महोदय के प्रधान निजी सचिव : सादर सूचनार्थ ।
2. निदेशालय के सभी संयुक्त निदेशक/उप निदेशक
3. सभी अनुभाग अधिकारी
4. सहायक निदेशक, केंद्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान, वन्दे मातरम् मार्ग, नई दिल्ली
5. उप निदेशक, पोलनेट हब स्टेशन, समन्वय सदन, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली
6. सहायक निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) - विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
7. कार्यालय प्रति